



## विश्वविद्यालय की “Adopt a School” योजना

राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत प्रथम पीढ़ी/समाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (**Socially and Economically Disadvantaged Group**) के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विश्वविद्यालय स्तर से अपनी समस्त परिसर/सम्बद्ध संस्थाओं को अपने विद्यार्थियों/शिक्षकों के माध्यम से स्वेच्छा से विद्यालयों को अपनाया जाना चाहिए।

इस परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी एवं भावी पीढ़ी में वैज्ञानिक चिन्तन, उच्च शिक्षा में सम्भावनाएं, सूचना प्रौद्योगिकी/आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI)/सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव, कम्प्यूटरी ज्ञान, कैरियर सम्भावनाओं, स्वास्थ, कानूनी जानकारी, आदि विषयों पर स्वेच्छा से योगदान देने हेतु सभी संस्थाओं को प्रथम चरण में न्यूनतम 02 व अधिकतम 05 राजकीय प्राइमरी/माध्यमिक विद्यालयों को चयनित कर वहां अवकाश के दिनों में जाकर स्कूली छात्रों को जागृत किया जायेगा।

विश्वविद्यालय की सामाजिक व शैक्षणिक जिम्मेदारियों के अन्तर्गत उचित होगा कि उक्त के लिए सभी परिसर एवं सम्बद्ध संस्थानों हेतु “Adopt a School” योजना संचालित की जाये एवं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत स्कूली छात्रों को स्वेच्छा से मार्गदर्शन प्रदान करने की व्यवस्था स्थापित की जायगी। इस योजना के क्रियान्वयन में संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों/शिक्षकों को वहां स्वेच्छा से लगाया जायेगा एवं आवश्यक संसाधन यथा कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, डिस्प्ले यूनिट अथवा चननित गतिविधियों के सापेक्ष आवश्यकतायें संस्थान स्तर से स्कूलों के साथ सौर्हादपूर्ण दीर्घकालिक सम्बन्ध बनाने हेतु उपलब्ध करायी जायेंगी। “Adopt a School” योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के परिसर/सम्बद्ध संस्थान Mentor Institution के रूप में एवं अपनाये गये विद्यालय Mentee Institution के रूप में जाने जायेंगे तथा इनके साथ की गयी समस्त गतिविधियों का सम्पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय पोर्टल पर उपलब्ध किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर इसमें हो रही गतिविधियों की समीक्षा की जायेंगी।

\*\*\*\*\*